स्थाई आदेश संख्या: 27

पुलिस फोर्स के अभिन्न अंग होने के कारण वित्तीय सहायता की अनेक अतिरिक्त सुविधायें रेडियो स्टाफ को उपलब्ध है । यह देखने में आया है कि रेडियो स्टाफ इन सुविधाओं से पूरी तरह परिचित नहीं है तथा आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक (Genuine) मामलों में भी प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त नहीं होते । अतः रेडियो स्टाफ की सूचनार्थ सुविधाओं का विवरण एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार स्पष्ट की जाती है ।

(क) <u>शिक्षा हेतु सहायता</u>

1- <u>उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि</u>

इस निधि से सहायता देने के लिये प्रति वर्ष निश्चित तिथि तक प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । यह प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होता है, जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । जिन कर्मचारियों के बच्चे मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग अथवा अन्य प्रोफेशन के कोर्स में पढ़ रहे हैं, तथा उस कोर्स में उनका दाखिला प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से हुआ है तो वह वित्तीय सहायता के पात्र है । जिनका दाखिला प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से नहीं हुआ , वह भी, यदि पिछली परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक न हों, तो वित्तीय सहायता के पात्र है । अन्य प्रकार के कोर्सों में, जो कि हाईस्कूल के बाद के हों (जैसे इंटर, बी०ए०,/बी०कॉम०/बी०एस०सी०/एम०ए०/एम०कॉम०/एम०एस०सी०/एल०एल०बी०/एल०एल०एम० आदि), में भी 50 प्रतिशत अंक पिछली परीक्षा में प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता के पात्र है । वर्तमान नियम के अनुसार 59.5 प्रतिशत के बराबर या उससे ऊपर के अंक 60 प्रतिशत के बराबर मान लिये जाते हैं ।

उपरोक्त निधि से वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निश्चित तिथि तक भेज देना चाहिये ।

2- (ख) <u>रेडियो शाखा की सुविधा निधि तथा शासन द्वारा स्वीकृत कल्याण निधि व सुख सुविधा निधि से वित्तीय सहायता</u>

शिक्षा के लिये रेडियो शाखा से भी वित्तीय सहायता दी जाती है ।

यह सहायता 6 वीं कक्षा से लेकर उच्चतम कक्षा तक दी जा सकती है। इसमें 50 प्रतिशत अंक की शर्त रहती है। अतः जिन कर्मचारियों के बच्चों के 50 प्रतिशत अंक या उससे अधिक हों, तथा जो उत्तर प्रदेश पुलिस शिक्षा निधि की परिधि में नहीं आते, उन्हे निर्धारित प्रपत्र में निश्चित तिथि तक अपने प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में भेज देने चाहिये।

(ख) बीमारी के इलाज अथवा प्राकृतिक आपदाओं में हानि हेतु वित्तीय सहायता

(1) उ0प्र0पुलिस वेलफेयर फन्ड

इसमें गम्भीर बीमारी में स्पेशलिस्ट इलाज हेतु, विकलांग हो जाने पर तथा प्राकृतिक आपदाओं में हानि होने पर वित्तीय सहायता का प्राविधान है। इलाज के लिये प्रार्थना-पत्र देते समय बीमारी का नाम, डाक्टर का प्रिसक्रिप्शन, प्रमाण-पत्र, इलाज की अवधि, व्यय की रसीदें आदि का विवरण देना आवश्यक है। प्राकृतिक आपदाओं में हुई हानि के लिये प्राकृतिक आपदा का विवरण, हानि का विवरण, तहसीलदार का प्रमाण-पत्र, पुलिस अधीक्षक की संस्तुति संलग्न करते हुये प्रार्थना-पत्र देना चाहिये। जो भी प्रार्थना-पत्र हो, वह वास्तविक तथ्यों के विवरण तथा व्यय अथवा हानि के प्रमाण-पत्रों सहित होना चाहिये।

(2) उ0प्र0पुलिस बेनीफिट फन्ड/बेनीवोलेंट फन्ड

इन निधियों से विशेष परिस्थितियों में सहायता दी जाती है, विशेष विधवा की सहायता हेतु।

अतः विशेष परिस्थितियों का विवरण एवं प्रमाण देते हुये सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र भिजवाना चाहिये।

(3) रेडियो शाखा की सुविधा निधि

इस निधि से लम्बी बीमारी हेतु उपरोक्त पैरा (ख) (1) व (ख) (2) के अनुसार सहायता दी जाती है।

....3

§ख§ शासन द्वारा स्वीकृत सुख सुविधा निधि तथा कल्याण निधि से भी पैरा क §1§ व ख §2§ के अनुसार सहायता दी जाती है ।

§ग§ <u>अन्य प्रकार की सहायता</u>

§1§ पैरा §ख§ §1§ में अंकित निधियों से गरीब बच्चों के लिये कपड़े, मनोरंजन कक्षों हेतु आवश्यक सामग्री व साज सज्जा का प्राविधान भी किया जा सकता है ।

§2§ कल्याण केन्द्रों हेतु उपकरण व साज सज्जा का प्राविधान किया जा सकता है ।

§3§ बच्चों के खेल कूद हेतु आवश्यक सामग्री का प्राविधान किया जा सकता है ।

अतः ग §1§, ग§2§ तथा ग §3§ में अंकित सहायता प्राप्त करने हेतु भी जो प्रार्थना-पत्र भेजा जावे वह तथ्यात्मक विवरण देते हुये भेजा जावे ।

निदेशक§रेडियो संचार§,
उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ-226006

प्रतिलिपि :-

1- समस्त राजपत्रित अधिकारी ।
2- समस्त रेडियो निरीक्षक ।
3- समस्त रेडियो अनुरक्षण अधिकारी ।
4- समस्त रेडियो केन्द्र अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त रेडियो स्टाफ को उपरोक्तानुसार अवगत कराने का कष्ट करें । तथा इस आदेश की प्राप्ति स्वीकार करें ।

<u>प्राप्ति स्वीकृति-पत्र</u>

मैंने निदेशक रेडियो संचार के स्थायी आदेश संख्या: 27 प्राप्त किया तथा उसे स्थायी आदेश-पंजिका सं0 में क्रमांक पर रखा ।

स्थान-
दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम
पद/संख्या